

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क.मांक-62/2012
 संस्थित दिनांक-06/02/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

फागूलाल पिता छन्नूलाल नागवंशी, उम्र-53,
 निवासी-लिंगा, थाना परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-30/09/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 विकल्प में धारा-427 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-19.12.2011 को समय 19:00 बजे स्थान बस स्टेण्ड चौक डोरा थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0251 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया विकल्प में उक्त दिनांक, समय व स्थान पर नुकसान कारित करने के आशय से उक्त वाहन से चौराहे में लगी बिजली के सीमेंट के पोल को खम्बे को टक्कर मारकर 20,000/- रुपये की रिष्टि कारित की।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-19.12.2011 को समय 19:00 बजे स्थान बस स्टेण्ड चौक डोरा थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0251 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर चौराहे पर लगे बिजली के पोल को टक्कर मार दिया, जिससे बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त घटना की सूचना ललित तिवारी द्वारा लिखित आवेदन के माध्यम से चौकी डोरा में की गई। उक्त लिखित आवेदन पर पुलिस द्वारा बस के चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2011, धारा-279, 427 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया तथा थाना रूपझर में असल नम्बर पर कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-152/2011, धारा-279, 427 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। जप्तशुदा वाहन का विधिवत मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बिजली के पोल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 427 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-19.12.2011 को समय 19:00 बजे स्थान बस स्टेण्ड चौक डोरा थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0251 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर नुकसानी कारित करने के आशय से उक्त वाहन से चौराहे में लगी बिजली के सीमेंट के पोल खम्बे को टक्कर मारकर 20,000/-रुपये की रिष्टि कारित की?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- ईमरतलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के समय गांव के लोगो ने बताया था कि बिजली का पोल बस वाले ने तोड़ दिया है, उसने अगले दिन सुबह जाकर देखा तो पोल टुटा हुआ था। उसने अपने अधिकारी को बताया कि अग्रवाल बस वाले ने टक्कर मारकर पोल तोड़ दिया है और बस को आरोपी फागूलाल चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटना स्थल पर नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे गांववालों ने घटना की जानकारी दी थी, यदि गांववालों ने अग्रवाल बस से टक्कर मारने वाली बात गलत बतायी हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि वह मात्र अनुश्रुत साक्षी है, जिसने लोगो के बताये अनुसार दुर्घटना बस से होना बताया है और उसके चालक के रूप में आरोपी का नाम बताया है। इस साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि उसने स्वयं आरोपी को कथित बस चलाते हुए एवं पोल को टक्कर मारते हुए नहीं देखा।

6- दिलीप (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे हल्ले की आवाज आयी तो वह बस स्टेण्ड चौक ग्राम डोरा में पहुंचा, जहां उसे पता लगा कि बस खम्बे से टकरा गई, जिससे खम्बा टूट गया। उक्त बस अग्रवाल कम्पनी की थी, जिसे आरोपी चला रहा था। आरोपी बस को कैसे चला रहा था और बस की टक्कर कैसे हुई, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस समय वह मौके पर गया था, उस समय वहां कोई बस नहीं थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बिजली के पोल को किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारा हो तो वह

नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि वह मात्र अनुश्रुत साक्षी है, जिसने लोगो के बताये अनुसार दुर्घटना बस से होना बताया है और उसके चालक के रूप में आरोपी का नाम बताया है। इस साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि उसने स्वयं आरोपी को कथित बस चलाते हुए एवं पोल को टक्कर मारते हुए नहीं देखा।

7— ललित (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे लोगो ने बताया था कि घटना के समय बिजली के पोल को बस ने टक्कर मार दी, जिससे बिजली गोल हो गई, उसने पुलिस चौकी प्रभारी डोरा को लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0251 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बिजली के पोल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसके द्वारा लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1, उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 एवं मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 के अनुसार घटना स्थल का नक्शा बनाये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके सामने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर कई बस एवं वाहन का आवागमन होता रहता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि गांववालों ने शक के आधार पर आरोपी के विरुद्ध शिकायत की थी, पुलिस को दी गई शिकायत पर उसने हस्ताक्षर किया था, किन्तु उसमें क्या लिखा था उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने महत्वपूर्ण साक्षी होते हुए भी अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— कन्हैया (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे बाद में पता लगा था कि बस की टक्कर से बिजली का पोल टूट गया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0251 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बिजली के पोल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-3, नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि किसी अन्य वाहन ने बिजली पोल को टक्कर मारा हो तो वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने घटना स्थल का मौका नक्शा व नुकसानी पंचनामा नहीं बनाया था तथा बिना जानकारी के हस्ताक्षर करवा लिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने घटना होते हुए देखा है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— मंगलेश (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के समय पता चला कि बस ने बिजली के पोल को टक्कर मार दिया है,

जिसकी सूचना लाईनमेन को उसने दिया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0251 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बिजली के पोल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना दिनांक को आरोपी को बस चलाते हुए नहीं देखा तथा गांववालों के द्वारा झूठी शिकायत के आधार पर उसके हस्ताक्षर ले लिये थे। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10- अनुसंधानकर्ता अधिकारी पी.डी.मोंगरे (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.12.2011 को चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक-152/2011, धारा-279, 427 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/2011, धारा-279, 427 भा.द.वि. प्रधान आरक्षक मनोज पंचबुद्धे द्वारा लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक मनोज पंचबुद्धे के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। दिनांक-22.12.2011 को विवेचना के दौरान उसके द्वारा ललित की निशानदेही एवं साक्षियों के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी कन्हैया, मंगलेश, भामेन्द्र, कन्हैयादास, दिलीप, ललित तथा दिनांक-27.12.2011 को इमरतलाल, सूरज के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। बिजली के सीमेंट के पोल को हुई क्षति के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-4 साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नुकसानी पंचनामा में बिजली विभाग को लगभग 20 हजार रुपये का नुकसानी होना उसके द्वारा अनुमानित किया गया है। दिनांक-29.12.2011 को आरोपी फागूलाल से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 के अनुसार बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0251 चालू हालत में मय दस्तोवज के जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस अस्वीकार किया है कि उसने शिकायतकर्ता के बताये अनुसार थाने में बैठकर सम्पूर्ण कार्यवाही की है और झूठा प्रकरण तैयार किया है। साक्षी के द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही से मात्र इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बिजली का पोल टूटने से नुकसानी कारित हुई थी, किन्तु उसकी साक्ष्य से आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से कोई तथ्य प्रकट नहीं होता।

11- प्रकरण में आरोपी को किसी भी साक्षी ने घटना के समय कथित दुर्घटना कारित बस को चलाते हुए एवं बिजली के पोल को टक्कर मारते हुए नहीं देखा है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि सभी साक्षीगण ने लोगों के बताने पर अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना का वृत्तांत पेश किया है। यद्यपि सभी महत्वपूर्ण

साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी या लापरवाही से चलाते हुए पोल को टक्कर मारने के तथ्य से इंकार किया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। इस प्रकार आरोपी को साक्ष्य के अभाव में ना तो लोकमार्ग पर कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने के आधार पर मानव जीवन संकटपन्न करने के लिये और न ही बिजली के पोल को क्षतिग्रस्त कर नुकसानी कारित करने या रिष्टि कारित करने के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक—एम.पी.50/पी.0251 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया विकल्प में उक्त दिनांक, समय व स्थान पर नुकसान कारित करने के आशय से उक्त वाहन से चौराहे में लगी बिजली के सीमेंट के पोल को खम्बे को टक्कर मारकर 20,000/— रुपये की रिष्टि कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 427 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक—एम.पी.50/पी.0251 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार संतोष अग्रवाल पिता सूरज अग्रवाल, निवासी उकवा, जिला बालाघाट को प्रदान किया गया है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट